



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
प्रकरण क्रमांक 22317/15 जिला 21572

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.7.15	<p>1- मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, यह निगरानी तहसीलदार सागर के अंतरिम आदेश दिनांक 10.07.2015 के प्र0क्र0 357 अ/6/वर्ष 2014-15 पक्षकार जैनदत्त समैया तनय जीवनदास समैया विरुद्ध शासन के विरुद्ध म0प्र0भू-राजस्व संहिता के संशोधन अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता दिलीप गोस्वामी के तर्कों का विचार किया गया प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन है। जिसमें पेशी दिनांक 17.07.2015 नियत है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत निगरानी को ग्राह्य किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। आवेदकगणों की ओर से अधिवक्ता द्वारा व्यवहार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये वादपत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी है। आवेदकगणों को निर्देशित किया जाता है कि वे व्यवहार न्यायालय से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज तहसीलदार सागर के समक्ष प्रचलित कार्यवाही में प्रस्तुत करें तहसीलदार सागर को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षों को सनुवाई का अवसर देते हुये व्यवहार न्यायालय के दस्तावेजों के परिपेक्ष्य में उल्लिखित खसरा नंबर एवं दस्तावेज नामांतरण प्रकरणों में उल्लिखित खसरा नंबरों में समानता पायी जाती है तो नामांतरण की कार्यवाही व्यवहार न्यायालय के आदेश होने तक स्थगित रखी जाये। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है आदेश की प्रति तहसीलदार सागर को भेजी जाये।</p>	 सदस्य



समक्ष माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी 2239-I-15

दिनांक 15/7/15
के पीठमिल सुनने
के पास 15/7/15

1. महेन्द्र खटीक तनय स्व०श्री जीवनलाल खटीक
निवासी सूबेदार वार्ड, सागर जिला-सागर
2. महेश साहू तनय श्री गिरधारीलाल साहू
निवासी भगतसिंह वार्ड, सागर जिला-सागर
3. कमलेश साहू तनय स्व०श्री श्याम बिहारी साहू
निवासी जवाहरगंज वार्ड सागर जिला-सागर

.....आवेदकगण

//बनाम//

1. जैनदत्त समैया तनय श्री जीवनदार समैया
2. श्रीमति सतेन्द्र जीत मिड्डा पत्नि श्री जगमोहन सिंह मिड्डा
निवासी अन्नानगर चैन्नई तमिलनाडू

.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदकगण न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार सागर के प्र० क्र० 357अ/6/वर्ष 2014-15 में पारित अनंतरिम आदेश दिनांक 10.07.2015 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करते हैं:-

//प्रकरण के सथ्य//

1. यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदकगण को अनावेदक क्र० 2 श्रीमति सतेन्द्र जीत मिड्डा ने उसके स्वामित्व व हक की भूमि स्थित ग्राम अमावनी प०ह०नं० 46 तह०व जिला सागर ख०नं० 022 रकवा 1.59हे० ख०नं० 029 रकवा 0.04हे० एवं ख०नं० 031/2 रकवा 0.16हे० कुल 2.15हे० भूमि को 30,00,000/-रु० अंकन में तीस लाख रुपये में विक्रय करने का इकरारनामा दिनांक 28.04.2015 को निष्पादित किया था जिसके एवज में आवेदकगण ने अनावेदक क्र० 2 को ब्याने के रूप